[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना
सं. 06/2024–केन्द्रीय कर

नई दिल्ली,तारीख 22 फरवरी,2024

का.आ…(अ),--केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 158क और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर "पब्लिक टेक प्लेटफार्म फार फ्रिक्शनलैस क्रैडिट" को ऐसी प्रणाली के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके साथ केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 158क की उपधारा (2) के अधीन सहमति पर आधारित सामान्य पोर्टल पर सूचना को साझा किया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण–इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए "पब्लिक टेक प्लेटफार्म फार फ्रिक्शनलैस क्रैडिट" से उद्यम श्रेणी का एक ओपन आर्किटेचर सूचना प्रौद्योगिकी मंच अभिप्रेत है, जिसकी अवधारणा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तारीख 10 अगस्त, 2023 की "विकासकारी और विनियामक नीतियों पर कथन" पर उसके भाग के रूप में की गई है तथा इसका विकास उसके पूर्ण स्वामित्वाधीन अनुषंगी, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब द्वारा प्रत्यय के बृहत वातावरण में उसके प्रचालनों के लिए किया गया है, जिससे विभिन्न डाटा स्रोतों से डिजीटल रूप में सूचना तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके और जहां वित्तीय सेवा प्रदाता और बहुल डाटा सेवा प्रदाता मानक और प्रोटोकाल चलित आर्किटेक्चर, ओपन और साझा अनुप्रयोग कार्यक्रम इंटरफेस (एपीआई) फ्रेमवर्क का उपयोग करते किसी मंच पर मिलते हैं, से सूचना तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके ।

[फाइल सं. सीबीआईसी–20001/1/2024–जीएसटी]

(राघवेन्द्र पाल सिंह)
निदेशक